

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020- सीमा शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 119 (अ), दिनांक 14 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, पृष्ठ 2 पर पंक्ति 17 में, "31/03/2020" के स्थान पर "31/12/2019" पढ़ें।

[फा सं. 605/04/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्ण झा
निदेशक, प्रतिअदायगी